

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्क अहकाम

पु. नं. ७१/१८ तारीख २०-१-१८

उत्पन्न - जैन्या बनाव गृह्यावेजे. गान्धोज

प्राथना पत्र आस्थापी निषेधाज्ञा

प्राथी नीओर से - ६१ रागगेशी गुप्ता एडवोकेट ने प्राथनापत्र
आस्थापी निषेधाज्ञा अन्तर्गत चार २१२ Pt १९९ के अन्तर्गत
पेश किया प्राथनापत्र ने साफ जमावन्दी व शाप पत्र का
आपलोक्षण किया गया। प्राथनापत्र दर्ज रीजस्ट्रर कर
अप्राथी गणों को जरिये नोटिस से तपव कर दिनांक
१-१-१८ को पेश हो।

62-65
3-1-18


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

१-१-१८

प्राथी पकील उप०। उद्योगी गण नी ओरसे श्री सुनील
कुमार जिनदल AtV. उप० उए। वकासतानाग पेश किया।
जबाब पेश करने दि० २५-१-१८ को पेश हो।

२५-१-१८

वकुलाय उप०। जबाब पेश करने दि० २०-२-१८ को पेश हो।

२-१-१८

वकुलाय उपस्थित/मीलसन अधिकारी - पुनाकफापी से
चौथी पक्षी है। अक्त पदावली गत मुसा
दिनांक १५-३-१८ को पेश हो।

१५-३-१८

वकुलाय उप०। जबाब पेश करने दि० ६-५-१८ को पेश हो।

६-५-१८

वकुलाय उप०। जबाब पेश करने की हिदायत
की। जबाब पेश करने दि० ५-५-१८ को पेश हो।

राजस्थान न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

27.2.19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी ~~द्वारा~~ ~~हस्ताक्षर~~ है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 25.2.19 को पेश हो।
 27/2/19

25.3.19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पुनाच की ट्रेनिंग में ~~जायपुर~~ है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 24.3.19 को पेश हो।
 25/3/19

24.4.19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पुनाच कार्य में ~~ठपसा~~ है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 31.3.19 को पेश हो।
 24/4/19

31.5.19 वकुलाय उपस्थित/ वास्ते बरस दिनांक 20.6.19 को पेश हो।
 31/5/19

20.6.19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी ~~करौली~~ ~~पधार~~ है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 12.7.19 को पेश हो।
 20/6/19

12.7.19 वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी ~~करौली~~ ~~पधार~~ है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 31.7.19 को पेश हो।
 12/7/19

31.7.19 वकील अभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी वकीलने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्णित डगराजीयात में हिस्सा 1/2 का लोतेदार काश्तकार है अप्रार्थीगण को अग्रे हिस्से की शूमे के कपडे काश्त में मजामतल मददाबलत नही करने देत पाबन्द फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने जबब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>कि प्रार्थी व प्रार्थी पुत्र से जयिये इकरनाम श्रीमि कृष्ण की है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खाजि क्रिया जेप दौरोने बहल वकील उभयपक्ष ने रिकार्ड में हिस्सेतक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति ब्याये रखने के लिए अपपक्ष काल को तादावा फैसला पाबन्द किये जोन का खयन किया। अतः उभयपक्ष कारान को तादावा फैसला रिकार्ड में हिस्सेत कार यथास्थिति ब्याये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है उभयपक्षकारन गुम मान्जोज स्थित श्रीमि खसरा नम्बर $\frac{190}{0.18}$, $\frac{191}{0.18}$, $\frac{194}{0.05}$, $\frac{201}{0.02}$ $\frac{590}{0.15}$, $\frac{1106}{0.08}$, $\frac{1109}{0.03}$, $\frac{1110}{0.23}$, $\frac{1111}{0.07}$, $\frac{1131}{0.14}$, $\frac{1146}{0.13}$ $\frac{1151}{0.23}$, $\frac{1161}{0.13}$, $\frac{1725}{0.13}$, $\frac{1726}{0.02}$, $\frac{1727}{0.02}$, $\frac{1728}{0.34}$ $\frac{1733}{0.50}$ कुल किला 18 कुल रकम 2.63 ह० व मौके अनुसार हिस्सा 1/2 में यथास्थिति ब्याये रखे।</p> <p>पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर एकदम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 31.7.19 को खुले न्याया में लिरवाया जाकर सुनाया गया।</p>
	<p>(इशारादीनी)</p>

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)